सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुड़ामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

अपील संख्याः–2024/411 दर्ज तिथिः–09.09.2024

1. तेजाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी लक्ष्मणपुरा हाल निवासी डुगराणी सियागो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर

................अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी।

..................प्रत्यर्थी

उपस्थित अधिवक्ता
अपीलार्थीः– श्री रामजीवन विश्नोई
प्रत्यर्थीः–सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–75
राज. भू–राजस्व अधिनियम–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–24.01.2025

1. आज यह पत्रावली अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। अपील में सर्वप्रथम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में निहित विवाद की मुख्य विषयवस्तु का सूक्ष्मतः व सारतः विवरण इस प्रकार से है कि मौजा लक्ष्मणपुरा तहसील गुड़ामालानी के निवासी अपीलार्थी तेजाराम पुत्र गंगाराम तथा अपीलार्थी के भाई नानगा पुत्र गंगाराम ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष दिनांक 21.02.2022 को एक समर्पण पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष दिनांक 21.02.2022 को प्रस्तुत समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर अमलदरामद किये जाने के आदेश जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष दिनांक 21.02.2022 को प्रस्तुत समर्पण पत्र पर जारी आदेशों की पालना में नामांतरकरण संख्या 02 दिनांक 04.03.2024 स्वीकार कर अमलदरामद किया गया। परंतु दिनांक 04.03.2024 को आराजी पर न्यायालय का स्थगन का हवाला देते हुए नामांतरकरण संख्या 02 दिनांक 04.03.2024 का पुनर्वालोकन करते हुए नामांतरकरण संख्या 02 दिनांक 04.03.2024 को निरस्त कर दिया। उक्त नामांतरकरण संख्या 02 दिनांक 04.03.2024 को निरस्त करने के आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.25 20:19:46 IST
Reason: SelfAttested

से पूर्व अपीलार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया। साथ ही प्रत्यर्थी द्वारा बिना मौके का निरीक्षण किये नामांतरकरण संख्या 02 दिनांक 04.03.2024 को निरस्त कर कानूनी भूल की है। अतः नामांतरकरण संख्या 02 दिनांक 04.03.2024 को निरस्त करने के आदेश को निरस्त करते हुए समर्पण आदेश दिनांक 21.02.2022 का नामांतरकरण पुनः दर्ज किया जावे।

2. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./कोर्ट/2025/01 दिनांक 02.01.2025 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई। मुताबिक जांच रिपोर्ट मौजा डूंगराणी सियागों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी के खसरा संख्या 269/262 के समस्त खातेदारों द्वारा रास्ते हेतु राज्य सरकार के पक्ष में निजी खातेदारी भूमि समर्पण की गई थी। उक्त समर्पण के आदेश जारी करते समय व आदेश के मुताबिक अमलदरामद करते समय उक्त आराजी पर किसी भी न्यायालय का किसी प्रकार का स्थगन प्रभावी नहीं था। वर्तमान में मौजा डूंगराणी सियागों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी के खसरा संख्या 269/262 पर दिनांक 04.03.2024 से न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी में विचाराधीन वाद संख्या 130/2024 से मौका स्थगन है। उक्त स्थगन की पालना में उक्त आराजी पर मौका व रिकॉर्ड का स्थगन नोट लगा हुआ है।

3. प्रकरण में वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गई। मैनें अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी में विचाराधीन वाद संख्या 130/2024 प्रमाणित दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद में केवल मौके का स्थगन जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी में विचाराधीन वाद संख्या 130/2024 प्रमाणित दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद में रिकॉर्ड का कोई स्थगन जारी नहीं किया गया है और ना ही रिकॉर्ड का स्थगन वर्तमान में प्रभावी है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आराजी पर रिकॉर्ड का स्थगन नहीं होने के बावजूद भी बिना पक्षकारों को सूचित किये नामांतरकरण संख्या 02 दिनांक 04.03.2024 को निरस्त कर दिया। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरकरण संख्या 02 दिनांक 04.03.2024 को निरस्त करते समय इस तथ्य पर ध्यान नहीं देकर भारी कानूनी भूल की है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से केवल मौके की यथास्थिति की पालना करवाना अपेक्षित था। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने कर्त्तव्यों व नियमों से बाहर जाकर नामांतरकरण संख्या 02 दिनांक 04.03.2024 को अवैध रूप से निरस्त किया गया है। इस प्रकार उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

अपीलार्थी की अपील बाबत् नामांतकरण संख्या 02 दिनांक 04.03.2024 मौजा डूंगराणी सियागों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी की दिनांक–04.03.2024 की कार्यवाही निरस्त की जाकर समर्पण आदेश दिनांक 21.02.2022 की पालना करने हेतु पुनः नामांतरकरण दर्ज

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.25 20:19:46 IST
Reason: SelfAttested

कर तहसीलदार गुड़ामालानी को कार्यवाही करने के आदेश दिये जाते हैं।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 24.01.2025 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.25 20:19:46 IST
Reason: SelfAttested